छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 483/2007</u>

श्री एच. एल. पाण्डेय,
कक्ष अधिकारी (प.)
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 31 अगस्त 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एच.एल.पाण्डेय, कक्ष अधिकारी, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा दिनांक 05–08–2006 व दिनांक 03–10–2006 के आवेदन से प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर से जानकारी चाही थी। जानकारी समयावधि में नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 22–11–2006 को प्रथम अपील भी प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दी गई थी, उसके बाद भी समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 09–01–2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। अपीलार्थी द्वारा अंतिम सुनवाई के दिन यह बताया गया कि उन्हें आयोग के यहां अपील करने के बाद कुछ जानकारी दिनांक 24–07–2007 के पत्र से शासन द्वारा दी गई है, किन्तु उनके आवेदन दिनांक 03–10–2006 के सन्दर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और कार्यवाही की जानकारी शासन के निर्णयोपरांत देने का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः अपीलार्थी द्वारा जो अपनी पदोन्नति की मुख्य समस्या के संबंध में जानकारी चाही जा रही है, वह उन्हें अभी तक नहीं दी जा सकी है और उच्च शिक्षा संचालनालय ने प्रकरण शासन के उच्च शिक्षा विभाग की ओर भेज दिया है। किन्तु शासन स्तर पर भी अनिश्चितकाल तक प्रकरण को लंबित रखना उचित नहीं होगा। अतः आयोग द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी के संबंध में संचालनालय द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर 02 माह के अन्दर अंतिम निर्णय लेकर प्रकरण में लिये गये निर्णय की जानकारी अपीलार्थी के मूल आवेदन के अनुरूप उन्हें 02 माह के अन्दर निःशुल्क प्रदान करें। प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती, किन्तु विलम्ब के कारण हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिये संचालनालय द्वारा अधिनियम की धारा–19(8)(ख)

के अंतर्गत अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में 300/–रुपये (तीन सौ रुपये मात्र) की राशि प्रदान करने के भी निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त